सं0-27/2016/987/62-2-2016-2/3(05)/2015

प्रेषक,

भरत लाल राय,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 29 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-356/ल0सिं0/बजट-आयोजने0 /2015-16, दिनांक 17.03.2016 एवं शासनादेश सं0-1390/62-2-2015-2/3(05)/2015, दिनांक 09.4.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लधु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना--14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-25.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-6.78 लाख अवमुक्त करते हुए 01 अदद बोलेरो जीप रिप्लेसमेन्ट के आधार पर क्रय हेतु धनराशि रू0-6.46 लाख (रूपवये छः लाख छियालिस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.4.2015 में उल्लिखित शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रतिस्थापन हेतु वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा।

(2) वाहन क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 12.11.1986 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

(3) प्रतिसथापन के आधार पर वाहन क्रय के संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है तथा इसकी डुप्लीकेसी नही की गयी है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/परिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन क्रय किया जायेगा।

2- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
सचिव।

सं0-27/2016/987(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किंकर मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।